न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ... सत्यमेव जयते ... बीकानेर

अपील संख्या 58/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/00021)

1. मो. यासीन पुत्र नबीबक्स जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
2. मो. युसूफ पुत्र नबीबक्स जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
3. जैतून पुत्री नबीबक्स जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
4. हलीमा पुत्री नबीबक्स जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
5. साबिना पुत्री नबीबक्स जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
6. परवीन पुत्री नबीबक्स जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
7. अहमद हुसैन पुत्र आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
8. अनवर हुसैन पुत्र आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
9. फारूख हुसैन पुत्र आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
10. असलम हुसैन पुत्र आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
11. जुबैदा पुत्री आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
12. रूकसाना पुत्री आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
13. रूकैया पुत्री आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
14. सदीक पुत्र अलीबक्स जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. अब्दुल रजाक पुत्र मोहम्मद जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरू।
3. जाफर हुसैन पुत्र सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
4. गुलाम हुसैन पुत्र सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
5. अब्दुल सतार पुत्र सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
6. जमालदीन पुत्र सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. सायरा बेवा सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू। (फौत) नाम हटाया आदेश दिनांक 20.03.2017
8. बसीरा पुत्री सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
9. राबिया पुत्री सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
10. रजिया पुत्री सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
11. खातून पुत्री सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
12. मीना पुत्री सुभान जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
13. मो. आरिफ पुत्र जरीना पुत्री आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
14. मो. हारूण पुत्र जरीना पुत्री आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
15. इमरान पुत्र जरीना पुत्री आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
16. मोसीन पुत्र जरीना पुत्री आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।
17. साहीन पुत्र जरीना पुत्री आमीन जाति तेली निवासी लीलगरों की मस्जिद कें पास, चूरू तहसील चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः	1. श्री राजेश बैद	– अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः	2. श्री मूलचन्द आचार्य	– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
उपस्थितः	3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली	– राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः	4. श्री मयूर वर्मा	– अभिभाषक रेस्पो. सं. 13 ता 17

निर्णय **दिनांकः 12.04.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी चूरू में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर कृषि भूमि खं. नं. 216, 217, एवं 219 कुल तादादी 72 बीधा 16 बिश्वा रोही कस्बा चूरू की खातेदारी मे हिस्सा दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं. 7 से 16 को 1/24 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं. 17 से 24 को 1/24

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 25 का 1/24 हिस्सा अंकित किए जाने हेतु तहसीलदार चूरू को आदेशित करने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 13.04.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार तहसीलदार चूरू को आदेश दिया कि कृषि भूमि ख. नं. 216, 217, एवं 219 कुल तादादी 72 बीघा 16 बिश्वा रोही कस्बा चूरू की खातेदारी कृषि भूमि मे हिस्सा दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं. 7 से 16 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थीगण सं. 17 से 24 को 1/24 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 25 का 1/24 हिस्सा अंकित कर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 13 ता 17 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 को जरिये रजिस्ट्र्ड सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल रहे।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि खसरा नं. 76 तादादी 122 बीघा 14 बिस्वा रोही कस्बा चूरू में स्थित है जिसके नये खसरा नं. 216 तादादी 18 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 217 तादादी 18 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नं. 219 तादादी 36 बीघा 1 बिस्वा कुल 72 बीघा 16 बिस्वा बने है। जिसमे अपीलान्ट्स के पूर्वज नबीबबक्श व आमीन का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा विरासतन बनता है। वादगत भूमि के लिये पक्षकारान के मध्य दावा घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड बाबत अनुवान जनत बनाम तहसीलदार आदि प्रकरण सं. 49/93 दायर हुआ जिसका निर्णय दिनांक 04.08.1995 को हुआ था जिसके विरूद्व अन्य पक्षकारान ने प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एव राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प चूरू के समक्ष दायर कर रखी है, जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसमे रेस्पोडेन्ट नं. 1 पक्षकार था। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने घोषणात्मक व

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दुरूस्ती वाद की जानकारी होते हुए न्यायालय को मुगालते मे रख कर उपरोक्त आदेश प्राप्त किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य को गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 का प्रार्थना पत्र प्रविष्टि की शुद्धि बाबत था जबकि प्रस्तुत धारा के अन्तर्गत राजस्व रिकोर्ड की लिपीकिय त्रुटि को ही सहमति से दुरूस्त करने के प्रावधान है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही था। दावे की प्रोसिडिग अभि फाईनल नही हुई है, दावे के अनुसार निर्णय होगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 का दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि ख. नं. 76 तादादी 122 बीधा 14 बिश्वा रोही कस्बा चूरू में अली उर्फ अलीबक्स तथा रजाक पुत्र मौहम्मद का बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा भूमि खातेदारी व कब्जा काश्त की जरिए इंतकाल सं. 431 दिनांक 24.4.65 रही है, जमाबन्दी में भी बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा माना है। सहखातेदार आमीन के देहांत के बाद विरासतन खातेदारी राजस्व कर्मचारियो द्वारा अंकित की गई तब गलतरूप से प्रार्थी के 1/15 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जो एक लिपिकीय भूल थी। रिकार्ड में गलती से हिस्सा खातेदारी सही अंकित नही होने पर प्रविष्टिया दुरूस्त करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। लिपिकीय भूल से प्रविष्टिया गलत अंकित होने पर दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 कंवर करता है। अभिभाषक अपीलान्ट दावे की प्रोसिडिग चलने का जो कथन कर रहे है वो मैटर ही अलग है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू ने निर्णय दिनांक 13.04.2016 के द्वारा धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत कस्बा चूरू के खं. नं. 216, 217 व 219 की कुल 72 बीधा 16 बिस्वा भूमि में खातेदारो के हिस्से दुरूस्त किया है, जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टिया राजस्व वाद सं. 49/93 में पारित निर्णय दिनांक 4.8.95 के अनुसरण में दर्ज नामान्तकरण सं. 1011 के अनुसार थी। उक्त निर्णित वाद के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में अपील सं. 14/13 विचाराधीन होना अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है। ऐसी स्थिति में डिक्री एवं नामान्तकरण की किसी त्रुटि का संशोधन अपील के माध्यम से ही सम्भव है ना कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के माध्यम से इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त **BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Appeal/LR/ 544/ 08 Sultan singh v/s Adram Page no. 825** अनुसार भी अपीलाधीन निर्णय धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही आता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 13.04.2016 को अपास्त किया जाता है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।